संख्या:80/2019/3438जेएल/22-3-19-100(74)/2019

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक पुलिस/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 19 अगस्त, 2019***

विषय: केन्द्रीय कारागार नैनी में निरूद्ध 06 विचाराधीन बंदियों को प्रशासनिक आधार पर अन्यत्र कारागारों में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-24595/सामा-1(3)/नैनी/2019, दिनांक 08-08-2019 में की गयी संस्तुति के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल के प्रस्तर-128 सपठित-409ए में निहित प्राविधानों के अनुसार केन्द्रीय कारागार नैनी में निरूद्ध निम्नलिखित 06 विचाराधीन बंदियों को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-4 की कारागारों में स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र.स.	विचाराधीन बंदी का नाम व पिता का नाम	निरूद्धि की वर्तमान कारागार	कारागार का नाम जहॉ स्थानान्तरित किया जाना है।
1	2	3	4
1	संजय यादव पुत्र श्री राम गरीब यादव	के0का0नैनी	जि0का0सोनभद्र
2	उदयराज यादव पुत्र श्री रामविशाल उर्फ रामविलास	के0का0नैनी	जि0का0बांदा
3	राजा पाण्डेय उर्फ लवकुश पुत्र श्री चन्द्रमा प्रसाद	के0का0नैनी	के0का0फतेहगढ़
4	मो0 तारिक पुत्र श्री मसूद	के0का0नैनी	जि0का0कानपुर देहात
5	मा0 शाकिब पुत्र श्री मसूद	के0का0नैनी	जि0का0सीतापुर
6	अशोक उर्फ कल्लू सोनकर पुत्र श्री हीरालाल	के0का0नैनी	जि0का0गोण्डा

2- कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या:80/2019/3438जेएल(1)/22-3-19-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था, उ0प्र0, लखनऊ।
3. जिला मजिस्ट्रेट, प्रयागराज/सोनभद्र/बांदा/फर्रूखाबाद/कानपुर देहात/सीतापुर/गोण्डा।
4. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रयागराज/सोनभद्र/बांदा/फर्रूखाबाद/कानपुर देहात/सीतापुर/गोण्डा।
5. वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार नैनी/फतेहगढ़।
6. वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक, जिला कारागार सोनभद्र/बांदा/कानपुर देहात/सीतापुर/गोण्डा।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in